

18-8-21 पणवली पेशा हुंरी परिवारी सं० 1 वी और
 से श्री मूलचन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा
 पेश किया। शामिल मिलल रहे। वकील परिवारी
 सं० 1 ने वारी का वाद पर प्रताधिक अनुतोष
 डिकी करे पर कोई एतराज नही किया। वाद
 वारी प्रताधिक अनुतोष डिकी किया जात है।
 घोषणा इस अग्र वी जाती है कि राजस्व ग्राम
 श्यामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 388
 रकबा 2.40 है से वारी के डिसे 139/552 से
 से रकबा 0.35 है का खतैदार वारी को
 घोषित किया जात है व राजस्व ग्राम केहरपुरा
 कला में स्थित भूमि खसरा नं० 245 रकबा 0.25 है,
 खसरा नं० 250 रकबा 0.28 है, खसरा नं० 251 रकबा
 0.54 है कुल कित-3 कुल रकबा 1.07 है के
 वारी के 1/3 डिसे का व राजस्व ग्राम केहरपुरा
 कला में ही स्थित भूमि खसरा नं० 242 रकबा 0.45
 है, खसरा नं० 253 रकबा 0.49 है कुल कित-2
 कुल रकबा 0.94 है के वारी के 1/3 डिसे का
 खतैदार परिवारी नम्बर-1 को घोषित किया
 जात है। तहसीलदार चिड़ावा उक्तागुजार राजस्व
 रिकार्ड में इसकी कर पत्रकारान का राजस्व
 रिकार्ड में अमल इरायड करे। यर्था डिकी जारी हो।
 पणवली जैलल हुंकार होकर नम्बर से कर वी
 वाकर वद तकमील जाणा राखील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

